

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2013/अग्रहायण 19, 1935

No. 594]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2013/AGRAHAYANA 19, 1935

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि.770(अ).—विदेशी अधिनियम, 1946 (1946 का 31) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश को विदेशी (अधिकरण) संशोधन आदेश, 2013 कहा जाए।

(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. विदेशी (अधिकरण), आदेश 1964, में -

(क) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“3. प्रश्नों के निपटान की प्रक्रिया.—(1) अधिकरण, जिस व्यक्ति से प्रश्न संबंधित है उसको जिन मुख्य कारणों से वह अभिकथित विदेशी माना गया है, उनकी एक प्रति प्रदान करेगा, और उसे उसके मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने और प्रतिवेदन देने के लिए यथोचित अवसर प्रदान करने तथा जैसा कि प्रस्तुत किया जाए ऐसे किसी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् और जो सुनवाई की इच्छा रखता हो ऐसे व्यक्ति की सुनवाई के पश्चात्, अधिकरण संदर्भ के क्रम में इस बारे में विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा प्राधिकारी को अपनी राय प्रस्तुत करेगा।

- (2) विदेशी अधिकरण जिस व्यक्ति से प्रश्न संबंधित है अर्थात् 'प्रोसीडी' को कारण बताओ नोटिस देगा।
- (3) केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रश्न का संदर्भ प्राप्त होने के दस दिन के अन्दर उप-पैरा (2) में संदर्भित नोटिस दिया जाएगा।
- (4) यह नोटिस अंग्रेजी में तथा राज्य की शासकीय भाषा में भी दिया जाएगा उसमें दर्शाया जाएगा की वह विदेशी नहीं है यह साबित करने की जिम्मेदारी 'प्रोसीडी' की है।
- (5) (क) यह नोटिस 'प्रोसीडी' के उस पते पर दिया जाएगा जिस पर वह अंतिम बार रह रहा था अथवा सूचनानुसार रहता है या लाभ के लिए कार्य करता है, और आवास के स्थान में परिवर्तन के मामले में, जिसके बारे में अभिकथित व्यक्ति द्वारा जांच एजेंसी को लिखित में विधिवत सूचित किया गया है, ऐसे परिवर्तित पते पर विदेशी अधिकरण द्वारा नोटिस भेजा जाएगा;
- (ख) यदि 'प्रोसीडी' नोटिस दिए जाने वाले समय पर पते पर नहीं मिलता तब यह नोटिस प्रोसीडी के परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया जाए और इसे 'प्रोसीडी' को दिया गया माना जाएगा।
- (ग) जहां पर 'प्रोसीडी' के परिवार के वयस्क सदस्य को नोटिस दिया जाता है, वहां पर प्रोसेस सर्वर द्वारा नोटिस दिए जाने के प्रमाण के रूप में नोटिस की प्रतिलिपि पर वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाना चाहिए;
- (घ) यदि 'प्रोसीडी' के परिवार का वयस्क सदस्य हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान देने से मना करता है, जैसा भी मामला हो, तो प्रोसेस सर्वर इसकी सूचना विदेशी अधिकरण को देगा;
- (ङ.) यदि 'प्रोसीडी' अथवा उसके परिवार में उपलब्ध कोई भी वयस्क सदस्य नोटिस स्वीकार करने से मना करता है, तो प्रोसेस सर्वर उस संबंध में उस स्थान के किसी व्यक्ति के नाम और पते सहित विदेशी अधिकरण को सूचित करेगा, जो ऐसा नोटिस देते समय वहां उपस्थित था, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति उपलब्ध हो और इस प्रकार की सेवा में गवाह बनने का इच्छुक हो और प्रोसेस सर्वर इस प्रकार के गवाह का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा, यदि वह वहां उपस्थित है और अपना हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान देने का इच्छुक है, जैसा भी मामला हो;
- (च) यदि 'प्रोसीडी' ने जांच एजेंसी को सूचित किए बिना निवास स्थान अथवा कार्यस्थल बदल लिया है तो 'प्रोसेस सर्वर' घर, जिसमें प्रोसीडी निवास करता है अथवा अंतिम बार अथवा कथित रूप से रहा था अथवा लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य किया था अथवा व्यापार किया था, के बाहरी दरवाजे अथवा किसी अन्य सुस्पष्ट हिस्से में नोटिस की प्रति लगाएगा और मूल प्रति विदेशी अधिकरण को लौटा देगा जहां से इसे जारी किया गया था और इसके साथ रिपोर्ट पृष्ठांकित अथवा संलग्न करेगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि जिन परिस्थितियों में उसने ऐसा किया उसकी प्रति लगा दी है, तथा जिस व्यक्ति (यदि कोई हो) द्वारा घर की पहचान की गई थी और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, का नाम व पते का उल्लेख इसमें किया गया हो;

- (छ) जहां पर 'प्रोसीडी' अथवा उसके परिवार का कोई वयस्क सदस्य निवास स्थान पर नहीं पाया जाता है, तो उसके निवास स्थान के किसी सुस्पष्ट स्थान पर नोटिस की प्रति चिपकाई जानी चाहिए, कोई स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति इसका साक्षी होना चाहिए, जो इस संबंध में उसकी उपलब्धता और इच्छा के अध्यधीन होगा और 'प्रोसेस सर्वर' उसी रूप में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा जिस रूप में ऐसी सेवा प्रभावित होती है।
- (ज) जहां 'प्रोसीडी' विदेशी अधिकरण के क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है, उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सर्विस के लिए नोटिस भेजा जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में 'प्रोसीडी' रहता है या पहले रहता था या पहले रहता पाया गया या लाभ के लिए कार्य करता है और 'प्रोसेस सर्वर' उपरोक्त में दिए गए अनुसार नोटिस सर्व करेगा।
- (झ) यदि कोई व्यक्ति नोटिस की सर्विस का गवाह बनने के लिए उपलब्ध नहीं है या इच्छुक नहीं है या अपने हस्ताक्षर या अंगूठा छाप देने से मना करता है, तो 'प्रोसेस सर्वर' इस प्रकार का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र या सत्यापन दायर करेगा जो ऐसी अन-उपलब्धता अनिच्छा और मना करने का पर्याप्त सबूत होगा।
- (ञ) हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र या खण्ड (i) में संदर्भित सत्यापन की प्राप्ति पर विदेशी अधिकरण आय का पता लगाने के लिए ऐसे संदर्भ ऐसे निदेशों के साथ सक्षम प्राधिकारी को वापिस करेगा जैसाकि वह उचित समझे और उक्त अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (6) जहां 'प्रोसीडी' विदेशी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होता है अथवा लाया जाता है और वह अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो विदेशी अधिकरण ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकता है और तदनुसार मामलों पर निर्णय कर सकता है।
- (7) उस मामले में जब नोटिस विधिवत दिया जाता है 'प्रोसीडी' विदेशी अधिकरण के समक्ष प्रत्येक सुनवाई पर विदेशी अधिकरण के समक्ष स्वयं प्रस्तुत होगा अथवा उसके द्वारा किए गए वकील, जैसा भी मामला हो, के जरिए प्रस्तुत होगा।
- (8) विदेशी अधिकरण कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 'प्रोसीडी' को दस दिन का समय देगा और उसके मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त दस दिन का समय देगा।
- (9) विदेशी अधिकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कमीशन के साक्षियों की जांच करने की प्रार्थना को इंकार कर सकता है, यदि विदेशी अधिकरण की राय में ऐसी प्रार्थना कार्यवाहियों में विलम्ब करने के लिए की गई है।
- (10) विदेशी अधिकरण संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य को स्वीकार करेगा।
- (11) विदेशी अधिकरण ऐसे व्यक्तियों की सुनवाई करेगा जिसकी उसकी राय में सुनवाई अपेक्षित है।
- (12) विदेशी अधिकरण संक्षिप्त में और कारणों को लिखित में रिकार्ड करके किसी भी निवेदन पर मामले को स्थगन दे सकता है।

- (13) जब भी 'प्रोसीडी' अपने इस दावे के समर्थन में की वह विदेशी नहीं है कोई सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहता है और अपने दावे के बारे में जमानत की व्यवस्था नहीं कर पाता है तो 'प्रोसीडी' को निरुद्ध किया जाएगा और इसे नजरबंद केन्द्र अथवा कारावास में रखा जाएगा।
- (14) विदेशी अधिकरण सक्षम अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने के साठ दिनों के अन्दर मामले का निपटारा करेगा।
- (15) मामले की सुनवाई के बाद विदेशी अधिकरण जैसा भी व्यवहार्य हो शीघ्र ही अपनी राय निर्देश के आदेश में इसके लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- (16) विदेशी अधिकरण के अंतिम आदेश में संदर्भित प्रश्न पर इसकी राय का उल्लेख होगा जो तथ्यों और निर्णय का संक्षिप्त विवरण होगा।

3क. एक-पक्षीय आदेश को हटाने की प्रक्रिया.—(1) जब विदेशी अधिकरण ने 'प्रोसीडी' के अनुपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया है और उसके पास विदेशी 'प्रोसीडी' के आवेदन पर, यदि यह कथित आदेश के तीस दिनों के अन्दर दायर किया जाता है, एक-पक्षीय आदेश को हटा सकता है और मामले पर तदनुसार निर्णय कर सकता है।

(2) 'प्रोसीडी' यह दावा करते हुए कि वह विदेशी नहीं है तीस दिनों के भीतर विदेशी अधिकरण के निर्णय की समीक्षा करने के लिए विदेशी अधिकरण में आवेदन दायर कर सकता है और विदेशी अधिकरण ऐसा आवेदन प्राप्त होने से तीस दिनों के भीतर इस निर्णय की समीक्षा कर सकता है और विशेषताओं के आधार पर मामले पर निर्णय ले सकता है।

(3) इस आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत, विदेशी अधिकरण के पास समयबद्ध तरीके से मामले को शीघ्रताशीघ्र निपटाने के लिए अपनी कार्यवाई को नियमित करने की शक्तियां होंगी।

(ख) पैरा 4 के स्थान पर , निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"4. विदेशी अधिकरणों की शक्तियां.—विदेशी अधिकरणों के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 क 5) के अंतर्गत वाद पर विचारण हेतु सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी और निम्नलिखित मामलों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी, अर्थात् -

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थिति होने के लिए बुलाना और उपस्थित होने के लिए जोर देना और शपथ पर उसका परीक्षण करना।

(ख) किसी दस्तावेज की खोज करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा;

(ग) किसी गवाह के परीक्षण के लिए अधिकार प्रदान करना;

(घ) 'प्रोसीडी' को उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निदेश देना;

(ड.) 'प्रोसीडी' के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी करना यदि वह उसके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाता/पाती। "

[फा. सं. 25022/236/2011-एफ-1]

वी. वुमलंगमंग, संयुक्त सचिव (विदेशी)

**नोट :—विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 दिनांक 23 सितम्बर, 1964 के सा.का.नि. सं. 1401 के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में प्रकाशित हुआ था और अंतिम बार गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना जो दिनांक 24 अप्रैल, 2012 के सा.का.नि. सं. 317(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में प्रकाशित हुई थी, द्वारा संशोधित किया गया था।**

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### ORDER

New Delhi, the 10th December, 2013

**G.S.R. 770(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Foreigners (Tribunals) Order, 1964, namely :—

1. (1) This order may be called the Foreigners (Tribunals) Amendment Order, 2013.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Foreigners (Tribunals) Order, 1964,—
  - (a) For para 3, the following para shall be substituted, namely :—
 

“3. Procedure for disposal of questions, - (1) The Tribunal shall serve on the person to whom the question relates, a copy of the main grounds on which he is alleged to be a foreigner and give him a reasonable opportunity of making a representation and producing evidence in support of his case and after considering such evidence as may be produced and after hearing such persons as may desire to be heard, the Tribunal shall submit its opinion to the officer or authority specified in this behalf in the order of reference.
  - (2) The Foreigners Tribunal shall serve a show cause notice on the person to whom the question relates, that is, the proceedee.
  - (3) The notice referred to in sub-para (2) shall be served within ten days of the receipt of the reference of such question by the Central Government or any competent authority.
  - (4) The notice shall be served in English and also in the official language of the State indicating that the burden is on the proceedee to prove that he or she is not a foreigner.
  - (5) (a) The notice shall be served at the address where the proceedee last resided or reportedly resides or works for gain, and in case of change of place of residence, which has been duly intimated in writing to the investigating agency by the alleged person, it shall be served at such changed address by the Foreigners Tribunal;
  - (b) if the proceedee is not found at the address at the time of service of notice, the notice may be served on any adult member of the family of the proceedee and it shall be deemed to be served on the proceedee;
  - (c) where the notice is served on the adult member of the family of the proceedee, the process server shall obtain the signature or thumb impression of the adult member on the duplicate of the notice as a token of proof of the service;
  - (d) if the adult member of the family of the proceedee refuses to put a signature or the thumb impression, as the case may be, the process server shall report the same to the Foreigners Tribunal;
  - (e) if the proceedee or any available adult member of his or her family refuses to accept the notice, the process server shall give a report to the Foreigners Tribunal in that regard along with the name and address of a person of the locality, who was present at the time of making such an effort to get the notices served, provided such person is available and willing to be a witness to such service and the process server shall obtain the signature or thumb impression of such witness, if he or she is present and willing to sign or put his or her thumb impression, as the case may be;
  - (f) if the proceedee has changed the place of residence or place of work, without intimation to the investigating agency, the process server shall affix a copy of the notice on the outer door or some other

conspicuous part of the house in which the proceedee ordinarily resides or last resided or reportedly resided or personally worked for gain or carries on business, and shall return the original to the Foreigners Tribunal from which it was issued with a report endorsed thereon or annexed thereto stating that he has so affixed the copy, the circumstances under which he did do, and the name and address of the person (if any) by whom the house was identified and in whose presence the copy was affixed;

- (g) where the proceedee or any adult member of his or her family is not found at the residence, a copy of the notice shall be pasted in a conspicuous place of his or her residence, witnessed by one respectable person of the locality, subject to his or her availability and willingness to be a witness in that regard and the process server shall obtain the signature or the thumb impression of that person in the manner in which such service is affected;
  - (h) where the proceedee resides outside the jurisdiction of the Foreigners Tribunal, the notice shall be sent for service to the officer-in-charge of the police station within whose jurisdiction the proceedee resides or last resided or is last known to have resided or worked for gain and the process server shall then cause the service of notice in the manner as provided herein above;
  - (i) if no person is available or willing to be the witness of service of notice or refuses to put his or her signature or thumb impression the process server shall file a signed certificate or verification to that effect, which shall be sufficient proof of such non-availability, unwillingness and refusal;
  - (j) on receipt of the signed certificate or verification referred to in clause (i) the Foreigners Tribunals shall return such references with such directions as it thinks fit to the competent authority for tracing out the proceedee and produce before the said Tribunal.
- (6) Where the proceedee appears or is brought before the Foreigners Tribunal and he produces the documents in support of his claim, the Foreigners Tribunal may release such person on bail and decide the matter accordingly.
  - (7) In case where notice is duly served, the proceedee shall appear before the Foreigners Tribunal in person or by a counsel engaged by him or her, as the case may be, on every hearing before the Foreigners Tribunal.
  - (8) The Foreigners Tribunal shall give the proceedee ten days time to give reply to the show cause notice and further ten days time to produce evidence in support of his or her case.
  - (9) The Foreigners Tribunal may refuse a prayer for examination of witnesses on Commission for production of documents if, in the opinion of the Foreigners Tribunal, such prayer is made to delay the proceedings.
  - (10) The Foreigners Tribunal shall take such evidence as may be produced by the concerned Superintendent of Police.
  - (11) The Foreigners Tribunal shall hear such persons as, in its opinion, are required to be heard.
  - (12) The Foreigners Tribunal may grant adjournment of the case on any plea sparingly and for reasons to be recorded in writing.
  - (13) Where the proceedee fails to produce any proof in support of his or her claim that he or she is not a foreigner and also not able to arrange for bail in respect of his or her claim, the proceedee shall be detained and kept in internment or detention centre;
  - (14) The Foreigners Tribunal shall dispose of the case within a period of sixty days of the receipt of the reference from the competent authority.
  - (15) After the case has been heard, the Foreigners Tribunal shall submit its opinion as soon thereafter as may be practicable, to the officer or the authority specified in this behalf in the order of reference.
  - (16) The final order of the Foreigners Tribunal shall contain its opinion on the question referred to which shall be a concise statement of facts and the conclusion.

**3A. Procedure for setting aside ex parte order.**—(1) Where the Foreigners Tribunal has passed an ex-parte order for non-appearance of the proceedee and he or she has sufficient cause for not appearing before the Foreigners Tribunal, it may on the application of the proceedee, if filed within thirty days of the said order, set aside its ex parte order and decide the case accordingly.

(2) The Proceedee may file an application to the Foreigner Tribunal within thirty days to review the decision of the Foreigners Tribunal claiming that he is not a foreigner and the Foreigners Tribunals may review its decision within thirty days of the receipt of such application and decide the case on merits.

(3) Subject to the provisions of this Order, the Foreigners Tribunal shall have the powers to regulate its own procedure for disposal of the cases expeditiously in a time bound manner.”

(b) For para 4, the following para shall be substituted, namely :—

“4. Powers of Foreigners Tribunals - The Foreigners Tribunals shall have the powers of a Civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and the powers of a Judicial Magistrate first class under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) in respect of the following matters, namely :—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him or her on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) issuing commissions for the examination of any witness;
- (d) directing the proceedee to appear before it in person;
- (e) issuing a warrant of arrest against the proceedee if he or she fails to appear before it.”

[F. No. 25022/236/2011-F.1]

V. VUMLUNMANG, Jt. Secy. (Foreigners)

**Note :—**The Foreigners (Tribunals) Order, 1964 was published in the Gazette of India; Part II, Section 3 Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1401, dated the 23<sup>rd</sup> September, 1964 and was last amended by notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 317(E), dated the 24<sup>th</sup> April, 2012.